

पाण्डित्य सहायता उपध्याय अन्तोदय रांवल पखवाडा कैम्प 2025
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ


क्र.सं :- दुरुरस्ती / 2025 /
दिनांक :-

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुरस्ती प्रार्थना पत्र में गुताविक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा प्रार्थी मानसिंह पुत्र गणपत निवासी रामगढ हाल विराण के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही 9 एनटीआर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

नोट:- यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि भानसिंह पुत्र गणपत के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम भानसिंह पुत्र गणपत ही लागू होगा।


क्र.सं.	ग्राम/चक/पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	9 एनटीआर	31/94	भानसिंह पुत्र गणपत	मानसिंह पुत्र गणपत


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
दिनांक :-

क्र.सं:- सम / 2025 /

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. मानसिंह पुत्र गणपत को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

